



राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर राज.-302001
Tel. 0141-2220743/Fax-0141-2222047
E-Mail. sme-rajestic@ nic.in
Website- www.esicrajasthan.com
(An ISO 9001 : 2000 Certified Office)

संख्या: 15-यू-11 / पीटीएमआर-नियुक्ति / एसएमसी / 08

दिनांक 05.06.2009

वर्ष 2009 का कार्यालय आदेश सं. 3

मुख्यालय के निर्देशानुसार पीटीएमआर नियुक्ति, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अन्तर्गत मुख्यालय के पत्र संख्या Pt. File No. U-13/12/13/2005-med.1/PTMR dated 09-09-08 द्वारा अधोहरस्ताक्षरकर्ता को सौंपी गई शक्तियों के अधीन एवं मुख्यालय द्वारा जारी पत्र सं. यू-13/12/13/05 चिकि.1/पी.टी.एम. आर. दिनांक 1.10.2008 एवं 21.10.2008 के अनुक्रम में निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर उनके नाम के आगे अंकित विवरणानुसार दिनांक 10.06.2009 से 09.06.2010 तक एक वर्ष या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्ति प्रदान की है:-

क्र. सं.	नामित डॉक्टर का नाम	केन्द्र का नाम	कर्मचारियों की संख्या	बीमितों की संख्या
1	डॉ. उमेश चित्तौड़ा, चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, कोटा	कोटा	18398	18739
		भवानीमंडी	5694	5795
2	डॉ. जे. एल. गार्गिया, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर	अजमेर	10917	11217
		गुलाबपुरा	6540	6596
		किशनगढ	7468	7792
		ब्यावर	2520	2695
3	डॉ. प्रदीप गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एवं सम्पर्क अधिकारी, क. रा. बी. मिनी चिकित्सालय, भिवाडी (अलवर)	भिवाडी	48296	50470
		अलवर	16281	17005
		बहरोड	3493	3631

उक्त सभी अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी अपनी सुविधा के अनुसार प्रत्येक सप्ताह 3 सत्र के लिए उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक सत्र की अवधि 2.00 घंटे होगी।

मुख्यालय के पत्र सं. यू-13/12/13/05 चिकि.1/पी.टी.एम. आर. दिनांक 1.10.2008 के अनुसार अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी जो राज्य सरकार के पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी हैं, को प्रतिमाह रू. 3000/- रिमुनेरेशन (Remuneration) के रूप में देय होंगे।

उक्त वर्णित सभी अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी अपने तीनों सत्रों के लिए प्रतिमाह रूपये 100/- रिमुनेरेशन (Remuneration) पर एक अंशकालिक लिपिक रखेंगे।

संबंधित शाखा प्रबंधक को इस निर्देश के साथ कि वे नामित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी के लिए arrangement for supply of necessary and other materials E.I. extract of ESI Act, Medical Manual and LO Manual उपलब्ध करवाएंगें।

निशा 6/10/13
5/11/13
(डा. निशा ढींगरा)
राज्य चिकित्सा आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. संबंधित चिकित्सा अधिकारी।
2. चिकित्सा आयुक्त (मेड-1), मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली।
3. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कराबी योजना, अजमेर रोड, जयपुर।
5. क्षेत्रीय निदेशक (नकद हितलाभ शाखा), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
6. उप निदेशक (वित्त), क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
7. शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, कराबी निगम, कोटा/भवानीमंडी/अजमेर/गुलाबपुरा/किशनगढ़/ब्यावर/भिवाडी/अलवर/बहरोड को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं शाखा प्रबंधक, कोटा/अजमेर/भिवाडी को इस अनुरोध के साथ कि वे संलग्न कार्यालय आदेश की प्रति अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी को सुपुर्द कर पावती इस कार्यालय को भेजें।
8. चिकित्सा निर्देशी, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
9. सुरक्षा पंजिका।